COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE INDIA पचास पैसे 50 PAISE 50 P.

COURT FEE INDIA पचास पैसे 50 PAISE 50 P.

COURT FEE INDIA पचहत्तर पैसे 75 PAISE 75 P.

COURT FEE INDIA पचहत्तर पैसे 75 PAISE 75 P.

110

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

C.F.B. 7.50

प्रकरण क्रमांक R. 34.III/96

1. चन्द्रिका प्रसाद तनय अवधप्रसाद गुप्ता
2. रामानुज प्रसाद तनय गल्होरप्रसाद गुप्ता

दोनों निवासी ग्राम - बसौड़ासदर
जिला - सीधी {म0प्र0}

.... आवेदकगण

विरुद्ध

R.1227-I/04

R3 मवा

4 - III

के0 के0 द्विवेदी 1.8.96
दिनांक
1.8.96
ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

1. घुरहू तनय रमई अहीर
निवासी ग्राम -बसौड़ा तह0 सिंगरौली
जिला - सीधी, म0प्र0

2. भगवत तनय रमई अहीर
निवासी ग्राम- जोगियानी तहसील-
सिंगरौली, जिला - सीधी

3. ~~प्रदुमन तनय रमई अहीर~~
साकिन - बसौड़ा, तहसील-सिंगरौली
जिला - सीधी

(क) चन्द्रिका पिता प्रदुमन उम्र 50 वर्ष
निवासी ग्राम जोगियानी तह. व जिला सिंगरौली
(ख) ललता पिता प्रदुमन उम्र 35 वर्ष ग्राम
बसौड़ा तहसील व जिला सिंगरौली
(ग) गुलाब पिता प्रदुमन उम्र 29 वर्ष निवासी
ग्राम बसौड़ा तहसील व जिला सिंगरौली
(घ) श्रीमती समल पुत्री प्रदुमन पति बनवारी
लाल ग्राम जोर तहसील व जिला सिंगरौली
(ङ) रमुनिया पति स्व. प्रदुमन ग्राम बसौड़ा तहसील
व जिला सिंगरौली निवासीगण कृष्णा नगर
मुरली भवन के पीछे बनकाडी टोला सतना जिला सतना

4. श्रीमती बिखसिया पत्नी शिवप्रसाद एवं
पुत्री रमई अहीर, निवासी-ग्राम-
कोटिया, तहसील- सिंगरौली,
जिला - सीधी, म0प्र0

...... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय
के आदेश दिनांक
5-11-13 के अनुसार
संशोधन किया

1/8/96

K. K. Dwivedi
Advocate

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा
प्रकरण क्रमांक 239/81-82 में पारित आदेश दिनांक
21.5.96 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता
की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्न लिखित निवेदन है कि -

01 मामले के संक्षिप्त तथ्य :

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक 1227/एक/2004 निगरानी जिला सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
15-11-17	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। आवेदक एंव अनावेदक क–1 के अभिभाषक ने उपस्थित होकर आवेदन दिनांक 6–10–17 के साथ माननीय द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 बैढ़न के न्यायालय से निराकृत व्यवहार वाद कमांक 153 ए/12 में पारित आदेश दिनांक 1–7–2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर बताया कि पक्षकारों के बीच मान. व्यवहार न्यायालय में राजीनामा हो चुका है जिसके आधार पर निगरानी प्रकरण का निरकारण कर दिया जावे। 2/ उभय पक्ष के बीच व्यवहार वाद कमांक 153 ए/12 में पारित आदेश दिनांक 1–7–2016 अनुसार राजीनामा होने से यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं रही है क्योंकि माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। पक्षकार व्यवहार वाद कमांक 153 ए/12 में पारित आदेश दिनांक 1–7–2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर तहसील न्यायालय में पालन कराने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। तद्नुसार निगरानी गुणदोष पर आदेश पारित किये बिना इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	